



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 249-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015

दिनांक: 07.सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1 /2002 टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुये, उन्हें एतद्वारा स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है एवं तत्क्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-5 में उल्लिखित पद पर विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप चयनित करते हुए तदनुसार, कम संख्या 1 एवं 2 पर उल्लिखित कार्मिक को सम्मुख अंकित तिथि से तथा कम संख्या 3 से 6 पर अंकित कार्मिक को इस आदेश के निर्गमन तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से तदानुसार प्रोन्नत कर तैनात/निगम को आवंटित किया जाता है:-

क्रम सं0	नाम/सम्प्रेक्षा सं0/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम एवं आवंटित निगम/तैनाती कार्यालय
1	2	3	4	5
1	शिव बालक (अनु0जा0)/ एस-1360/लखनऊ/ 31.01.2016/लेखा संवर्ग/वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ	वरिष्ठ लेखा अधिकारी लेखा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी 06.05.2015 मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ
2	रमा शंकर प्रसाद (अनु0जा0)/ आर-1381/चन्दौली/ 31.12.2016/लेखा संवर्ग/वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी लेखा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी 06.05.2015 पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी
3	अमरेश कुमार सकरवाल (अनु0जा0)/ ए-852/सहारनपुर/ 30.06.2024/लेखा संवर्ग/ सहायक लेखाधिकारी (रा0) वि0वि0ख0, मुजफ्फरनगर।	सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ
4	मेवा राम (अनु0जा0)/ एम-612/बुलन्दशहर/ 31.07.2027/लेखा संवर्ग/ लेखाधिकारी, जाँच समिति, लखनऊ।	सहायक लेखा अधिकारी लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (मुख्यालय), लखनऊ

क्रमशः पृष्ठ 2

5	हरीश वर्मा (अनु0जा0)/ एच-244/आगरा/30.11. 2026/ लेखा संवर्ग/ सहायक लेखाधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।	सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा
6	ननकऊ (अनु0जा0)/ एन-260/लखनऊ / 31.01.2024/लेखा संवर्ग/ सहायक लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), वाराणसी	सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी केन्द्रीय लेखा कार्यालय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (मुख्यालय), लखनऊ

- 2- उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।
- 3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- 4- उपर्युक्त प्रोन्नत/स्थानान्तरित कर्मियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- 5- नियन्त्रक अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- 6- आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 249-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
 - 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 4- प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल/पूर्वान्चल/दक्षिणान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केसको लि0, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त कर्मिक को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित अन्तिम निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्विःसदस्यीय समिति का यथावांछित अनुमोदन प्राप्त कर, उक्त कर्मिक की पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त के अतिरिक्त, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कर्मिक को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
 - 5- निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि वे शक्ति भवन मुख्यालय एवं सम्बद्ध इकाईयों में तैनात कर्मिकों को अवमुक्त कराकर, अग्रेतर आदेशों तक अपने कार्यालय से सम्बद्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 6- समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।



- 8- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी०सी०-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 10- उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से

(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव